



(57)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, इवा लियर

प्रकरण क्रमांक

12018 निगरानी R-3256 III/14

रामेश्वर पुत्र रामाधीन,
निवासी- ग्राम- महरावन, तेहसील चन्दला,
जिला कच्छरपुर (मध्यप्रदेश) ।

----- प्राथी

बिरगध्व

- १- सम्पत्ताई पुत्री टैरा,
 - २- श्रीमती उजियारी वैवा टैरा,
 - ३- श्रीमती राजावाई पुत्री टैरा,
 - ४- छीरावाई पुत्री टैरा,
 - ५- श्रीमती रानी पुत्री टैरा,
 - ६- श्रीमती सुधरा पुत्री टैरा,
 - ७- श्रीमती सुन्दर वैठी पुत्री टैरा,
- सम्पत्त निवासीगण- ग्राम महरावन तेहसील-
चन्दला जिला कच्छरपुर (मध्यप्रदेश)

----- प्रतिप्राथीगण

निगरानी बिरगध्व आदेश राजस्व निरीक्षक महोदय, तेहसील
चन्दला जिला कच्छरपुर दिनांक की ३०-६-१४, अन्तर्गत धारा ५० मध्य-
प्रदेशी मू-राजस्व संहिता, १९५६।५०क्र० ४०।१३-१४।अ-१२.

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्नास्तुत्तर प्रस्तुत है :-

- १- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।
- २- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय में प्राथी को सुनवाई का कोई

श्री कृष्ण के काव्यकारिका

डक्रेट माहि
दिनांक 25-9-14 को
परस्तुती

बलराम जी का कोर्ट
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश

24/9/14

मि

25/9/14

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3256-तीन/2014

जिला छतरपुर

रामेश्वर विरूद्ध सम्पतबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-12-2018	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक अभिभाषक श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित ।3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक तहसील चन्दला जिला छतरपुर के सीमांकन आदेश दिनांक 30-06-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।	<p>(आर.के.जैन) सदस्य</p> <p>28.12.18</p>